राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1871/2024

प्रियंका भास्कर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. उप रजिस्ट्रार (भू–अभिलेख) राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर, जिला अजमेर (राज.) ।
2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव राजस्व, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.05.2024

आदेश की दिनांक : 31.05.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री रामावतार, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर तहसील सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि दिनांक 27.11.2017 को पटवारी के पद पर नियुक्त हुई और निलंबन के दौरान अपीलार्थी पटवार मण्डल, चौथ का बरवाडा में सेवायें दे रही थी तथा आलोच्य आदेश दिनांक 15.03.2024 के द्वारा उसे उक्त स्थान से राजसमंद

स्थानांतरित कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध झूठी एवं गलत शिकायत करते हुये आरोप लगाया गया है और उदयपुर संभाग के राजसमंद में स्थानान्तरित किया गया है, जो 350 कि.मी. दूर है। अपीलार्थी अविवाहित है फिर भी उसका स्थानान्तरण राजसमंद जिले में किया गया है। उसकी हमेशा संतोषजनक सेवायें रही हैं, परंतु बिना किसी कारण के जारी किये गये स्थानान्तरण आदेश नियम एवं नीति के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.03.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को पटवार मण्डल, चौथ का बरवाडा या नजदीकी स्थान पर पदस्थापित किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन पटवारी के पद पर तहसील सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी को निलंबन से बहाल करते हुये पदस्थापन आदेश जारी किया गया है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order)

प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य